उत्तर प्रदेश सरकार
सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो अनुभाग-1
संख्या 806/ चौवालिस–1-125/75
लखनऊः दिनांकः 25 अप्रैल, 1981

कार्यालय ज्ञाप

राज्य के सार्वजनिक उद्योगों/उपक्रमों तथा अन्य स्वशासित संस्थाओं के प्रबन्धक बोर्डो के अध्यक्ष, निदेशक अथवा पदेन निदेशक पद पर नियुक्त राजकीय अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित प्रबन्धक बोर्डो की बैठकों में भाग लेने के लिए जाने पर उन्हें यात्रा भत्ता की देयता एवं वायुयान/रेल के वातानुकूलित कोच से यात्रा करने की सुविधा विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या 1466 /चौवालिस–1-1980-125/75, दिनांक 24 अक्टूबर, 1980 का आंशिक संशोधन करते हुए, अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त कार्यालय ज्ञाप के पैरा–2 की सातवीं पंक्ति से प्रारम्भ हुए वाक्यांश ''समय बचाने के दृष्टिकोण से वे भी प्रबन्धक बोर्डो की बैठकों में निदेशक की हैसियत से सम्मिलित होने के लिए वायुयान/बातानुकूलित कोच से यात्रा कर लें'' को हटाकर उसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित हुआ समझा जायः–

> ''वे भी प्रबन्धक बोर्डो की बैठकों में निदेशक की हैसियत से सम्मिलित होने के लिए वातानुकूलित कोंच से अथवा समय बचाने के दृष्टिकोण से वायुयान से यात्रा कर लें''

2- यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

ह० हृदय नारायण श्रीवास्तव
उप सचिव।

संख्या 806 (1)/चौवालिस–1-125/75- तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) उत्तर प्रदेश शासन के समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव।

(2) उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग,

(3) शासन के समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष।

(4) प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उद्योगों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशकगण।

आज्ञा से,
ह० हृदय नारायण श्रीवास्तव
उप सचिव।